संख्या: 60 /2021-1913ई-2/तेरह-2021-401517

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक 24 सितम्बर, 2021

विषय:- मेसर्स टिकौला डिस्टिलरी (ए यूनिट आफ टिकौला शुगर मिल्स लि.), ग्राम टिकौला, तहसील जानसठ, जनपद-मुजफ्फरनगर को बी-हैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन किये जाने के कारण स्वीकृत अधिष्ठापित क्षमता 262.5 लाख लीटर वार्षिक में अन्तरिम रूप से 24 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-47/दो.प्रा.डी.-71, दिनांक 16-09-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 16-09-2021 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स टिकौला डिस्टिलरी (ए यूनिट आफ टिकौला शुगर मिल्स लि;), ग्राम टिकौला, तहसील जानसठ, जनपद-मुजफ्फरनगर को स्वीकृत अधिष्ठापित क्षमता 262.5 लाख लीटर वार्षिक में अतिरिक्त अन्तरिम रूप से 24 प्रतिशत अर्थात 63 लाख ब.ली. एथनॉल का उत्पादन बी-हैवी शीरे से किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा बढी हुयी क्षमता पर नियमानुसार तत्काल अनुज्ञापन शुल्क जमा किया जायेगा तथा आसवनी में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कन्सेन्ट दिनांक 05-08-2021 के अंतर्गत लगायी गयी शर्तों का अनुपालन करते हुए उत्पादन कार्य किया जायेगा। आसवनी में बी-हैवी शीरे के उपभोग के समाप्त होने पर सी-हैवी शीरे से अलकोहल उत्पादन किये जाने हेतु आसवनी के सहायक आबकारी आयुक्त से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in